न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाग पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 04/2019

दायर दिनांकः 01.10.2019

उनवान

1. सॉवरा पिता मांगीलाल जाति भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. धन्ना पिता मांगीलाल जाति भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल जाति भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. घीसी ध0प0 मांगीलाल जाति भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

वनाम

1. देवकिशन पिता उदा जाति ब्राह्मण (अचारज) निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ
2. रामस्वरूप पिता उदा जाति ब्राह्मण (अचारज) निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ
3. कैलाश चंद्र पिता उदा जाति ब्राह्मण (अचारज) निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ
4. जीतू पिता नन्दा भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. गजराज पिता शंकरलाल भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री गिरधारी लाल आचार्यः— अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ऋतुराज सिह राठौडः— अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांकः 09.10.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सॉवरा धन्ना रमेशचंद्र पिता मांगीलाल घीसी ध0प0 मांगीलाल भील निवासीगण काछोला ने दिनांक 25.09.2019 को एक वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण (प्रार्थीगण) के पिता मांगीलाल पिता नन्दा एवं उनके भाईयो जीतू व शंकर की खातेदारी कृषि भूमि मौजा काछोला मे स्थित आराजी नं. 55, 67, 2641/1, 2642/1 कीता 4 रकवा 11.19 बीघा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। सह खातेदार जीतु पिता नन्दा जिवित है व शंकरलाल पिता नन्दा की मृत्यु हो चुकी है जिसका पुत्र गजराज भील है व शंकरलाल की पत्नि अन्यत्र नाते चली गई है। आराजी नं. 2641/1 रकबा 3.17 बीघा व आराजी नं. 2642/1 रकबा 4.02 बीघा आपसी पारिवारिक समझोते के तहत वादीगण (प्रार्थीगण) के पिता मांगीलाल को काश्त हेतु दी है और इस भूमि के बदले सह खातेदारान शंकर व जीतू को अन्य स्थान पर अधिक भूमि दी है जहां पर प्रतिवादी सं. 4 व 5 काश्त कर रहे है। आपसी भाईयो व भतीजे के मध्य कब्जे व हिस्से को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 को औपचारिक पक्षकार वनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक ने बिना किसी अधिकार के 4 वर्ष पूर्व जवरन अतिचार कर ग्राम काछोला की आराजी नं. 2642/1 रकबा 4.02 बीघा भूमि मे से 1 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादीगण अनुसूचित जनजाति के खातेदार है व प्रतिवादी गण 1 से 3 के व्यक्ति

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

स्वर्ण जाति के है इसिलिए प्रतिवादी सं. 1 से 3 को विवादग्रस्त आराजी नं. 2642/1 से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 18.11.2019 को विपक्षीगण 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ऋतुराजसिह राठौड ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया व जवाव हेतु समय चाहा गया जो दिया जाकर अधिकार पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण मे विपक्षीगण की ओर से दिनांक 18.09.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगणो ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए अवगत करवाया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगणो का ही कब्जा होकर प्रार्थीगण ही शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है एवं विवादित भूमि पर विपक्षीगणो का कब्जा नही है। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

विवादित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला से तलब की गई। भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2020 को प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार विवादित भूमि ग्राम काछोला के आराजी नं. 2642/1 पर प्रार्थीगणों की सहमति से प्रार्थीगणो व विपक्षी संख्या 01 देवकिशन आचार्य द्वारा शामलाती मे एक कुंआ खोदा गया था। बाद मे सम्पूर्ण कुएं पर विपक्षी संख्या 01 ने कब्जा कर लिया है। वर्तमान मे उक्त कुंए पर विपक्षी संख्या 01 देवकिशन पिता उदा जाति ब्राह्मण (अचारज) निवासी काछोला का कब्जा है। मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

मेनें सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 2642/1 मे स्थित कुंए पर विपक्षी संख्या 01 द्वारा किया हुआ कब्जा अवैध है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को आदेशित किया जाता है कि ग्राम काछोला तहसील माण्डलगढ के आराजी नं. 2642/1 मे स्थित कुंए से विपक्षी संख्या 01 देवकिशन पिता उदा जाति ब्राह्मण (अचारज) निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ को बेदखल कर कब्जा प्राथीगण को संभलाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे अधिवक्ता उभयपक्ष की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ
तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner